प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 544/2021

एंटो यादव पिता बैसाखू यादव , 30 वर्ष, और निवासी खजरी धाव, पुलिस थाना–बहर, जिला–जशपुर, छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस थाना के द्वारा –फरासगांव, जिला–कोंडागांव, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :––श्री एस.पी.सन्नत अधिवक्ता,बसंत कैवरत्य, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :––श्री करण कुमार बहरानी, पैनल अधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

पीठ पर निर्णय

31/01/2025

वर्तमान अपील दं. प्र. सं. की धारा 374(2) के तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, कोंडागांव, जिला कोंडागांव द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, संख्या 492/2022 के तहत विशेष दाण्डिक प्रकरण में दिनांक 07.04.2021 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आक्षेपित निर्णय के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम,') की धारा 20(बी)(ii–सी) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और 1,00,000/– रुपये के जुर्माने के साथ

10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड पारित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड पारित किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्णा पाटले (पीडब्लू–1) को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त बोलेरो पिकअप क्रमांक सीजी 13 वाई–8604 में प्रतिबंधित गांजा लेकर जगदलपुर से फरसगांव की ओर जा रहा है। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 20(बी) के तहत देहाती नालिशी दर्ज की गई। उक्त सूचना के आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज कर रोजनामचा सनहा प्र.पी–29 में दर्ज कर उक्त सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई। मुखबिर सूचना पंचनामा और बिना वारंट तलाशी का पंचनामा विशेष संदेशवाहक विकास दुग्गा के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी, फरसगांव को प्र.पी–23 के माध्यम से भेजा गया था। तत्पश्चात स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर, कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन करते हुए, वह सहायक आरक्षक पीताम्बर राठौर, आरक्षक क्रमांक 458, 416, 194 और किट, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, प्रिंटर के साथ लैपटॉप और स्वतंत्र गवाहों और कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे – एनएच–रोड 30 के पास। थोड़ी देर बाद, पिकअप वाहन कोंडगांव से उस स्थान की ओर आ रहा था जहाँ नाकाबंदी की गई थी।पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अंतो यादव बताया। उसे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के तहत एक्स.पी–7 के तहत नोटिस भी दिया गया और उसे तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में बताया गया।उसकी सहमति ली गई कि वह पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी लेने के लिए तैयार है।उसकी तलाशी से पहले, पुलिस दल ने भी अपनी तलाशी प्र.पी–9 के माध्यम से दी और अभियुक्त द्वारा सरकारी वाहन और मोटरसाइकिल की भी तलाशी ली गई और पंचनामा प्र.पी–10 तैयार किया गया। पुलिस दल की तलाशी में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जब अभियुक्त/अपीलकर्ता के बैग की तलाशी ली गई तो टेप से लिपटा और सील किया हुआ कुल 461.420 किलोग्राम गांजा के 90 पैकेट मिले और तलाशी पंचनामा तैयार किया गया। बरामदगी का पंचनामा तैयार किया गया था।सभी 90 पैकेट खोले गए और पैकेट से थोड़ी मात्रा निकाली गई और इसकी प्रकृति, गंध, रगड़ से इसकी भौतिक पहचान की गई और फिर यह गांजा पाया गया और पहचान पंचनामा तैयार किया गया था।तलाशी के बाद, तलाशी पंचनामा तैयार किया गया और स्वतंत्र साक्षीयों की उपस्थिति में, घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया, सूची प्रक्रिया के बाद, जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को 20 जूट के बोरों में सील करके रखा गया और उसे एफएसएल को भेज दिया गया। अपीलकर्ता को दं. प्र. सं. की धारा 91 के तहत नोटिस भी दिया गया था, लेकिन वह उक्त गांजे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा।बरामद गांजे का वजन तौल साक्षी वीरेंद्र सिंह द्वारा किया गया और इसका कुल वजन 461.420 किलोग्राम पाया गया। (पैकेट एक्स.ए–1 से ए–90 तक चिह्नित थे) और वजन पंचनामा एक्स.–पी/15 तैयार किया गया।कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाया गया जिन्होंने 90 पैकेटों की सामग्री को

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकरूप किया और समरूपीकरण पंचनामा तैयार किया गया था। समरूपीकरण के बाद, नमूनों के पैकेटों को अलग करके सील कर दिया गया था।सील पंचनामा तैयार किया गया था।देहाती नालिसी के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जब्ती सामग्री मालखाना मोहर्रिर को सौंप दी गई और पावती प्राप्त कर ली गई थी।जब्त गांजे के सैंपल पैकेट को पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन के साथ राज्य एफएसएल रायपुर भेजा गया, साथ ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोंडगांव द्वारा जब्त गांजे की सूची भी तैयार की गई थी।दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए और सामान्य जाँच पूरी होने के बाद, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(बी) (ii–सी) के अंतर्गत अपराध के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया।

3. विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के अंतर्गत अपराध के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप निर्धारित किया है। अपीलकर्ता ने आरोप से इनकार किया और विचारण की माँग की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षीयों का परीक्षण किया गया । अपीलकर्ता का बयान दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत भी दर्ज किया गया है, जिसमें उसने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोषता का तर्क दिया और कहा कि उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया, जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में उल्लेख किया गया है।अतः यह अपील प्रस्तुत किया गया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।अभियोजन पक्ष के साक्षीयों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण चूक और विरोधाभास हैं, जिन्हें अपीलकर्ता को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42, 50, 52, 52ए, 55 और 57 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। नमूने लेने की प्रक्रिया के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 1/89 का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है तथा अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई उचित प्रक्रिया न अपनाए जाने के कारण, पूरी कार्यवाही निष्फल हो जाती है।उन्होंने आगे कहा कि मालखाना रजिस्टर और उसके रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों में की गई प्रविष्टियों में विसंगतियां हैं क्योंकि मालखाना रजिस्टर में नमूने निकालकर उसे एफएसएल भेजने संबंधी कोई प्रविष्टि नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि मालखाना रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों में मालखाना से नमूने निकालने का कोई उल्लेख नहीं है।स्वतंत्र साक्षीयों ने अभियोजन पक्ष के

मामले का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता जब्त किए गए गांजे के अनन्य और सचेत कब्जे में पाया गया था और इसलिए, अपीलकर्ता को संबंधित अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और इस प्रकार, वह बरी किए जाने का हकदार है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इसका विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।लेकिन छोटी–मोटी चूकों या विरोधाभासों को छोड़कर, उनके साक्ष्य पूरी तरह विश्वसनीय हैं।ये छोटी–मोटी विसंगतियाँ, जो प्रकृति में तुच्छ हैं, अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करतीं है।अभियोजन पक्ष के पास अपीलकर्ता को भारी मात्रा में गांजा रखने और उक्त भारी मात्रा में गांजा रखने के मामले में झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को उसकी आवश्यकता के अनुसार विधिवत सिद्ध किया गया है।अपीलकर्ता की ओर से इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कैसे आया।अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही रूप से पहुंचा है कि अपीलकर्ता कथित अपराध के लिए दोषी है और उसने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है और दंड पारित किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का अवलोकन किया गया।

9. अभि0 सा0–9 कृष्णा पटेल, जो पुलिस उपनिरीक्षक हैं, ने बताया कि दिनांक 19/11/2017 को उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी सफेद बोलेरो पिकअप क्रमांक CG-13Y–8604 में जगदलपुर से फरसगांव की ओर गांजा लेकर जा रहा है।उन्होंने उक्त सूचना को रोज़नामचा सन्हा प्र.पी–29 में दर्ज किया और स्वतंत्र साक्षी प्रहलाद कुंजाम और प्रभात कुमार को आरक्षक विकास दुग्गा के माध्यम से बुलाया। आरक्षक का प्रस्थान रोज़नामचा सन्हा प्र.पी–29 में दर्ज किया गया।आरक्षक के साथ साक्षीयों का आना भी रोज़नामचा सन्हा (प्र.पी–29) में दर्ज किया गया।साक्षीयों को गुप्त सूचना से अवगत कराया गया और पंचनामा तैयार किया गया था।वारंट पंचनामे के बिना तलाशी की आवश्यकता भी तैयार की गई है।बिना वारंट के तलाशी लेने के लिए आवश्यक गुप्त सूचना पंचनामा कांस्टेबल विकास दुग्गा के माध्यम से फरसगांव के पुलिस उपाधीक्षक को भेजा गया था।उक्त पंचनामा भेजने को रोजनामचा सनहा (प्रत्यक्ष पी–29) में दर्ज किया गया था। इसके बाद वे पुलिस दल के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए और उनके प्रस्थान को भी रोजनामचा में दर्ज किया गया है।जब वे एनएच रोड, कोंडागांव के पास पहुँचे तो उन्होंने अपीलकर्ता को वाहन में चालक सीट पर बैठे पाया।उसने अपना नाम अंतो यादव बताया।उसे गुप्त सूचना दी गई और पंचनामा तैयार किया गया था। उसे स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस भी दिया गया है। अपीलकर्ता को प्र.पी.–9 के तहत तलाशी लेने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया और बताया गया

कि वह मजिस्ट्रेट, राजपत्रित अधिकारी या पुलिस अधिकारी से अपनी तलाशी करवाने के लिए स्वतंत्र है और उसने उप–निरीक्षक पी.डब्लू.–9 द्वारा तलाशी लेने के लिए अपनी सहमति दी। पुलिस दल ने भी अपनी तलाशी दी और पंचनामा प्र.पी.–10 तैयार किया गया था।अपीलकर्ता की तलाशी लेने पर, एक आर.सी. बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, सिम कार्ड वाला मोबाइल फोन और 900/– रुपये नकद बरामद हुए।तलाशी लेने पर, 90 पैकेट मिले जो टेप से बंधे हुए थे।उन पैकेटों से गांजे जैसी गंध आ रही थी और तलाशी पंचनामा प्र.पी–12 तैयार किया गया।अपीलकर्ता से कुल 90 पैकेट बरामद हुए और बरामदगी पंचनामा प्र.पी–13 तैयार किया गया।प्रत्येक बैग से कुछ सामग्री निकाली गई और उसे रगड़कर, सूंघकर और कुचलकर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया और उसकी पहचान गांजा के रूप में की गई और भौतिक सत्यापन पंचनामा प्र.पी–14 तैयार किया गया था।अपीलकर्ता को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 91 के तहत नोटिस भी दिया गया था।तौल साक्षी वीरेंद्र सिंह को बुलाया गया और तौल उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया तथा पंचनामा प्र.–पी/15 तैयार किया गया।जब बरामद सामग्री का वजन किया गया, तो कुल वजन 461.420 किलोग्राम अर्थात 4 क्विंटल से अधिक पाया गया।90 पैकेटों से कुल 461.420 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।सूची कार्यवाही के लिए तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया।गांजे की पूरी मात्रा जब्त कर ली गई और उसे सूचीकरण और नमूनाकरण के लिए मालखाना मोहरिर के पास भेज दिया गया, जहाँ प्र.पी–21 के अनुसार पंचनामा तैयार किया गया।नमूने के पैकेटों पर A1 A30 अंकित था, जिन्हें 30 प्लास्टिक थैलियों में रखकर सील कर दिया गया।सीलिंग पंचनामा भी मौके पर ही तैयार किया गया। नमूना सील पंचनामा भी तैयार किया गया।मौके पर जब्त कुल 461.420 किलोग्राम गांजा को सूचीकरण कार्यवाही के लिए तहसील कार्यालय फरसगांव भेजा गया था।अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है।देहाती नलिसी एक्स.–पी.28 दर्ज की गई और पूरी कार्यवाही का पंचनामा भी तैयार किया गया।साक्षीयो के बयान दर्ज किए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 43 सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियाँ प्रदान करती है, जिनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:––––––

[43.सार्वजनिक स्थान पर जब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति–

धारा 42 में उल्लिखित किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी:–––

(क) किसी सार्वजनिक स्थान या पारगमन में, किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ को जब्त कर सकेगा जिसके संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, और ऐसी औषधि या पदार्थ के साथ, इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए उत्तरदायी कोई पशु या वाहन या वस्तु, कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर

सकती है या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु जो इस अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन जब्ती या फ्रीजिंग या जब्ती के लिए उत्तरदायी कोई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति धारण किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है; (ख) किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, और यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ है और ऐसा कब्जा उसे गैरकानूनी प्रतीत होता है, तो उसे और उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सार्वजनिक स्थान" शब्द में कोई भी सार्वजनिक वाहन, होटल, दुकान या अन्य स्थान शामिल है जो जनता द्वारा उपयोग के लिए या जनता के लिए सुलभ है।]

11. मामले के तथ्यों के साथ–साथ मामले में उपलब्ध साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि वाहन को एनएच–30 रोड, पुलिस थाना फरसगांव के पास रोका जा रहा था। वाहन की जांच करते समय, इसमें गांजा पाया गया। यह स्वीकार किया जाता है कि इसे सार्वजनिक स्थान पर यानी मुख्य सड़क पर चेक किया जा रहा था और उक्त भांग (गांजा) को पारगमन में जब्त/बरामद किया गया था, जिसे अभियुक्त द्वारा महिंद्रा बोलेरो पिकअप पर ले जाया जा रहा था।इसलिए, धारा 42 का पालन न करने का विवाद्यक वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है और पुलिस प्राधिकारियों ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 43 के तहत कार्यवाही की है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 43, जबकि घटनास्थल एक सार्वजनिक सड़क और जनता की पहुँच वाला था और सार्वजनिक स्थान के दायरे में आता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. धारा 43 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के तहत, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 42 लागू नहीं होती।

13. प्रतिबंधित सामग्री पारगमन के दौरान बरामद और जब्त की गई थी। चूँकि प्रतिबंधित सामग्री स्कॉर्पियो वाहन में पारगमन के दौरान बरामद और जब्त की गई थी, जैसा कि धारा 43(ए) में परिकल्पित है, अर्थात "किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या पारगमन में जब्ती", इस न्यायालय का विचार है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 43 लागू होती है और इस प्रकार, विश्वास के कारण के लिए रिकॉर्डिंग और तलाशी और जब्ती करने से पहले अपराध के संबंध में लिखित रूप में प्राप्त जानकारी को नोट करना, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 के तहत अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

14. **फिरदोसखान खुर्शीदखान बनाम गुजरात राज्य** एवं अन्य के मामले में, दिनांक 30.04.2024 को 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी680 में रिपोर्ट किया गया, कंडिका 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

“18. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 42 किसी भवन, परिवहन या संलग्न

स्थान से तलाशी और जब्ती से संबंधित है।जब तलाशी और जब्ती किसी सार्वजनिक स्थान से की जाती है, तो स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 43 के प्रावधान लागू होंगे और इसलिए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि धारा 42(2) की आवश्यकता का पालन न करने से तलाशी और जब्ती अमान्य हो जाती है।इसलिए, उक्त तर्क को खारिज कर दिया गया है।"

15. हरियाणा राज्य बनाम जरनैल सिंह एवं अन्य 2004 (5) एससीसी 188 में दर्ज मामले में अपने निर्णय के कंडिका 9 और 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हैः––

"(4) इसलिए धारा 42 तथा 43 में दो अलग–अलग स्थितियों पर विचार किया गया है।धारा 42 किसी भी भवन, वाहन या बंद स्थान में प्रवेश और तलाशी का प्रावधान करती है, जबकि धारा 43 किसी भी सार्वजनिक स्थान या पारगमन में की गई जब्ती का प्रावधान करती है।यदि धारा 42 के अंतर्गत सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच जब्ती की जाती है, तो उसके प्रावधान की आवश्यकता का अनुपालन करना होगा।अधिनियम की धारा 43 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी सार्वजनिक वाहन की तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने वाले अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच वाहन की तलाशी के लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के अनुसार अपनी संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान मामले में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जब टैंकर को रोका गया और तलाशी ली गई, तब वह सार्वजनिक राजमार्ग पर चल रहा था।इसलिए, धारा 43 स्पष्ट रूप से इस मामले के तथ्यों पर लागू होती है।ऐसी तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, तलाशी लेने वाले अधिकारी को धारा 42 के प्रावधान के अनुसार अपने विश्वास के आधार दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।इसके अलावा, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि पुलिस अधीक्षक भी तलाशी दल के सदस्य थे। इस न्यायालय ने एम. प्रभुलाल बनाम सहायक निदेशक, राजस्व खुफिया निदेशालय के मामले में यह है: (2003) 8 एससीसी 449 कि जहाँ स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 41 के तहत कार्यरत एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्वयं तलाशी ली जाती है, वहाँ धारा 42 की आवश्यकता का पालन करना आवश्यक नहीं था।इसी कारण से, इस मामले के तथ्यों में, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान की आवश्यकता का पालन करना आवश्यक नहीं था।"

16. कल्लू खान बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, जिसकी रिपोर्ट 2021 (19) एससीसी 197 में दी गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 12, 13 और 16 में यह अभिनिर्धारित किया है किः

12. सुनवाई के बाद और अभिलेख और प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को पकड़ने पर, मोटर साइकिल की तलाशी के दौरान, 900 ग्राम स्मैक जब्त की गई, जिसके जब्ती और नमूना ज्ञापन

तैयार किए गए, जैसा कि विभागीय गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया है।वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, जहां सार्वजनिक सड़क से संयोगवश बरामदगी के माध्यम से प्रयुक्त वाहन की तलाशी और जब्ती की गई थी, वहां स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 43 के प्रावधान लागू होंगे।इस संबंध में, एस. के. राजू (सुप्रा) और एस. के. सक्कर (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णयों से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों के आधार पर प्रणवीर सिंह (पीडब्लू 6) द्वारा की गई बरामदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

13. अब इस तर्क पर लौटते हैं कि अपराध करते समय जब्त की गई मोटर साइकिल अभियुक्त की नहीं है, तथापि मोटर साइकिल से प्रतिबंधित सामग्री की जब्ती को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए नहीं जोड़ा जा सकता है।साक्षीयों, कांस्टेबल प्रीतम सिंह (पीडब्लू 1), कांस्टेबल सरदार सिंह (पीडब्लू 2), एस.आई. प्रणवीर सिंह (पीडब्लू 6) और कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद (पीडब्लू 8), जो गश्ती दल के सदस्य और जब्ती के साक्षी थे, की बयान के मूल्यांकन पर, विचारण न्यायालय ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया कि जब वे गश्त पर थे, तो अपीलकर्ता जब्त वाहन को विपरीत दिशा से चलाकर आया था।पुलिस वाहन को देखकर, वह अपनी मोटर साइकिल वापस ले गया था।हालांकि, पुलिस दल ने अभियुक्त को पकड़ लिया और वाहन की तलाशी ली, जिसमें वाहन की सीट के नीचे से जब्त की गई प्रतिबंधित स्मैक बरामद हुई। हालांकि, सार्वजनिक स्थान पर तलाशी के दौरान, आरोपी द्वारा चलाए जा रहे मोटर साइकिल से प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर ली गई।इस प्रकार, अपीलकर्ता की मोटर साइकिल से प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी सार्वजनिक सड़क पर संयोगवश हुई बरामदगी थी।स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 43 के अनुसार, धारा 42 में निर्दिष्ट किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी, किसी सार्वजनिक स्थान से, या किसी भी मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ के परिवहन के दौरान अभियुक्त को जब्त करने और गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है।उक्त अधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को तलाशी के दौरान अभिरक्षा में ले सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किया है, यदि मादक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ का कब्ज़ा अवैध प्रतीत होता है।अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रक्रिया का पालन करने में कोई कमी या ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के प्रति कोई विकृति नहीं दिखा पाए, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है।उससे मोटर साइकिल की जब्ती उचित संदेह से परे साबित होती है, इसलिए, वाहन के स्वामित्व का प्रश्न सुसंगत नहीं है।इसी प्रकार के तथ्यों के आधार पर, रिज़वान खान (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि वाहन का स्वामित्व असंगत है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क सारहीन और गुणहीन है।"

17. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का भी पालन नहीं किया गया है क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत अपीलकर्ता को उनकी तलाशी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के बारे में पुलिस प्राधिकारी द्वारा सूचित नहीं किया गया है। धारा 50 के प्रावधान अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी पर लागू होते हैं जबकि वर्तमान मामले में वाहन से बरामद किया गया गांजा अभियुक्त का है जिसे उसकी व्यक्तिगत तलाशी नहीं कहा जा सकता है। किसी वाहन की तलाशी स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत नहीं आती है और किसी व्यक्ति की तलाशी किसी भी वाहन आदि की तलाशी से अलग होती है।

18. कल्लू खान (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन की तलाशी में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की प्रयोज्यता पर भी विचार किया है।कंडिका 16 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः––

"16 इसके साथ ही, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का पालन न करने के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निराधार हैं क्योंकि अभियुक्त के पास से प्रतिबंधित पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है, जिसके लिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है।वर्तमान मामले में, सार्वजनिक स्थान पर मोटर साइकिल की तलाशी के दौरान, जैसा कि पता चला है, प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती की गई थी। इसलिए, वर्तमान मामले में धारा 50 का अनुपालन लागू नहीं होता है।विजयसिंह (सुप्रा) के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि केवल व्यक्तिगत तलाशी के मामले में, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन वाहन के मामले में नहीं, जैसा कि वर्तमान मामले में, सुरिंदर कुमार (सुप्रा) और बलजिंदर सिंह (सुप्रा) के निर्णयों के अनुसार किया गया है।इस न्यायालय के तथ्यों पर विचार करते हुए, अधिवक्ता द्वारा दी गई स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 50 का पालन न करने का तर्क को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।"

19.**पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह के मामले में, जिसकी रिपोर्ट 1999 (6) एससीसी 172 में दी गई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 12** में यह अभिनिर्धारित किया हैः–––

"12.साधारण शब्दों में, धारा 50 केवल किसी व्यक्ति की तलाशी के मामले में ही लागू होगी, जो किसी परिसर आदि की तलाशी से भिन्न है। हालाँकि, यदि सशक्त अधिकारी, अधिनियम की धारा 42 के अनुसार पूर्व सूचना के बिना, किसी अपराध या संदिग्ध अपराध की सामान्य जाँच के दौरान तलाशी लेता है या व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उस तलाशी के पूरा होने पर, एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई प्रतिबंधित वस्तु भी बरामद होती है, तो अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकताएँ लागू नहीं होती हैं।"

20. कुलविंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में, जिसकी रिपोर्ट 2015 (6) एससीसी 674 में दी गई थी, अपने निर्णय के कंडिका 18 और 21 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया हैः–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में, यह निर्णय दिया गया है कि "कब्ज़ा" शब्द सभी विधियों के संदर्भ में सार्वभौमिक अनुप्रयोग की सटीक और पूर्ण तार्किक परिभाषा के योग्य नहीं है। हाल ही में, मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य मामले में, कुछ प्राधिकारियों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः---

"21. विधि की उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजन के लिए "कब्ज़ा" शब्द का अर्थ द्वेष के साथ भौतिक कब्ज़ा, द्वेष के साथ निषिद्ध पदार्थ पर अभिरक्षा या प्रभुत्व, या यहाँ तक कि छिपाने के परिणामस्वरूप प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रयोग भी हो सकता है। द्वेष और मानसिक इरादा, जो कब्ज़ा दिखाने और स्थापित करने के लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण तत्व है।इसके अलावा, किसी विशेष स्थान या स्थल पर, किसी प्रासंगिक समय पर, "संपत्ति" अर्थात अवैध पदार्थ के अस्तित्व के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान और ज्ञान पर आधारित इरादा, अद्वितीय संबंध और स्पष्ट कब्ज़ा स्थापित करेगा। ऐसी स्थिति में, कब्ज़ा की उपस्थिति और अस्तित्व को उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि इरादा पदार्थ या संपत्ति पर अधिकार का प्रयोग करना और दूसरों को छोड़कर मालिक के रूप में कार्य करना है।

22. इस मामले में, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता के पास उस समय भी अपेक्षित नियंत्रण था, भले ही उक्त मादक पदार्थ उस समय उसके भौतिक नियंत्रण में न हो।उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में निषिद्ध मादक पदार्थ छिपा सकता है और उसके बाद बाहर जा सकता है।उक्त व्यक्ति आवश्यक द्वेष के कारण उक्त पदार्थ को अपने कब्जे में रखेगा, भले ही वह उस समय भौतिक नियंत्रण में न हो। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ को छुपाता है, तो स्थिति को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता है।दूसरी श्रेणी के मामलों में, व्यक्ति के पास पदार्थ इसलिए होगा क्योंकि उसके पास आवश्यक द्वेष है और नियंत्रण व प्रभुत्व बनाए रखने का आशय है।"21. हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

"10. हम यहाँ "व्यक्ति" शब्द की व्यापक परिभाषा से चिंतित नहीं हैं, जिसमें कानूनी दुनिया में निगम, संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है क्योंकि वास्तव में इस प्रकार के मामलों में उनके परिसर की तलाशी ली जा सकती है, न कि उनके व्यक्ति की।अधिनियम की योजना और उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें धारा में इसका उपयोग किया गया है, इसका स्वाभाविक रूप से अर्थ एक मानव या एक जीवित व्यक्तिगत इकाई है, न कि एक कृत्रिम व्यक्ति।इस शब्द को व्यापक सामान्य ज्ञान के आधार पर समझा जाना चाहिए, इसलिए इसका अर्थ किसी मानव का नग्न या निर्वस्त्र शरीर नहीं, बल्कि वह तरीका है जिससे एक सभ्य समाज में एक सामान्य मानव विचरण करेगा।इसलिए, "व्यक्ति" शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ प्रतीत होता है – "मानव शरीर जिसे आमतौर पर उचित आवरण और वस्त्रों के साथ सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है"। एक सभ्य समाज में उचित आवरण और वस्त्र अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं और कोई भी समझदार इंसान उचित आवरण और वस्त्रों के बिना दूसरों की नज़रों में नहीं आता है।उपयुक्त आवरणों में जूते भी शामिल होंगे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्योंकि आमतौर पर इन्हें घर से बाहर जाते समय पहनना एक आवश्यक वस्तु माना जाता है। ऐसे उपयुक्त आवरण, वस्त्र या जूते, पहनने के बाद, बिना किसी उल्लेखनीय या अतिरिक्त प्रयास के मानव शरीर के साथ चलते रहते हैं।एक बार पहनने के बाद, ये सामान्यतः मानव शरीर से तब तक अलग नहीं होते जब तक कि उस दिशा में कोई विशेष प्रयास न किया जाए।इस प्रावधान की व्याख्या के लिए, कुछ धार्मिक साधु–संतों के दुर्लभ मामलों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने शरीर को वस्त्रों से नहीं ढकते।इसलिए, 'व्यक्ति' शब्द का अर्थ उपयुक्त आवरण, वस्त्र और जूते पहने हुए मानव होगा।"

11. किसी भी परिस्थिति में बैग, ब्रीफकेस या ऐसी कोई भी वस्तु या कंटेनर आदि को मानव शरीर नहीं माना जा सकता है।इन्हें एक अलग नाम दिया गया है और इसी नाम से इनकी पहचान की जा सकती है।इन्हें दूर–दूर तक मानव शरीर का अंग नहीं माना जा सकता है।किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के आधार पर, वह बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस, टिन का डिब्बा, थैला, झोला, गठरी, होल्डऑल, कार्टन आदि विभिन्न आकार, माप या वजन की कोई भी वस्तुएँ ले जा सकता है।हालाँकि, इन्हें ले जाते या साथ ले जाते समय कुछ अतिरिक्त प्रयास या ऊर्जा की आवश्यकता होगी।इन्हें या तो हाथ से ले जाना होगा या कंधे या पीठ पर लटकाकर या सिर पर रखना होगा।सामान्य बोलचाल में यह कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी विशेष वस्तु को ले जा रहा है, और यह निर्दिष्ट करता है कि उसे किस प्रकार ले जाया गया है, जैसे हाथ, कंधे, पीठ या सिर आदि। इसलिए, इन वस्तुओं को अधिनियम की धारा 50 में प्रयुक्त "व्यक्ति" शब्द के दायरे में शामिल करना संभव नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया अगला निवेदन यह है कि जब्त की गई वस्तुओं से नमूने लेने के मामले में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52 के साथ–साथ केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र 1/89 का अनुपालन नहीं किया गया है।अतः, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पर्याप्त पालन न करना है और अपीलकर्ता दोषमुक्त होने का हकदार है।

22. पीडब्लू– 9 कृष्णा पाटले के साक्ष्य से यह बात अभिलेख में आती है कि जब उन्होंने एनएच–30 रोड, पुलिस स्टेशन फरसगांव के पास वाहन को रोका, तो उन्होंने गांजा की जब्ती के सत्यापन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नोटिस तामील करने हेतु कांस्टेबल विकास दुग्गा को सेवा प्रमाण पत्र जारी किया। गांजा के वजन और भौतिक सत्यापन के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के बाद, उन्होंने जब्त गांजा का वजन किया, उसका भौतिक सत्यापन किया और एक पन्नानामा तैयार किया।नमूने तैयार किए गए और उन्हें सील कर दिया गया।भांग (गांजा) की कुल मात्रा 461.420 किलोग्राम पाई गई

23. हाल ही में भारत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में सीआरए संख्या 250/2025, आदेश दिनांक 06.01.2025 में,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 52–ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में किसी भी विफलता के बावजूद, यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर अन्य सामग्री विश्वास पैदा करती है और

अभियुक्त से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी और कब्जे दोनों के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करती है, तो ऐसे मामलों में भी न्यायालय एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52–ए के संदर्भ में किसी भी प्रक्रियात्मक कठिनाई के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

24. वर्तमान मामले में पूरी तलाशी और जब्ती की कार्यवाही वास्तविक पाई गई है और पुलिसकर्मियों द्वारा सही प्रक्रिया अपनाई गई है।स्वतंत्र साक्षीयों ने अभियोजन पक्ष के मामले का विधिवत समर्थन किया है कि जब वाहन को रोका गया तो अपीलकर्ता चालक सीट पर बैठा हुआ था।उसने अपना नाम बताया, वाहन की जाँच करने पर उसके पास से 90 पैकेट गांजा बरामद हुआ।तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा भांग (गांजा) की जब्ती, उसका वजन और नमूना लेना सिद्ध कर दिया गया और उनके साक्ष्यों पर अविश्वास करने के लिए कोई प्रतिकूल बात नहीं पाई गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि उसके वाहन में भांग (गांजा) मौजूद था। अपीलकर्ता अपने मामले को सही साबित करने के लिए कोई ठोस आरोप नहीं लगा सका कि स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25.अभिलेख में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त व्यक्ति को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 20 में प्रावधान है कि जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसमें बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करके भांग (गांजा) रखता है, उसे उक्त प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।धारा 20 (बी) में "कब्जा" शब्द का प्रयोग किया गया है।वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के पास उसकी महिंद्रा बोलेरो गाड़ी में 461.420 किलोग्राम गांजा पाया गया, जिसे वह उस समय ले जा रहा था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अत्यंत विस्तृत है, जिसमें मामले के हर पहलू पर विचार किया गया है और उसमें किए गए विश्लेषण से स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ने विचाराधीन अपराध किया है और 461.420 किलोग्राम गांजा ले जा रहा था। वह इस बारे में कोई संकेत नहीं दे सका कि गाड़ी में इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कैसे मिला।

26. एफ. एस. एल. रिपोर्ट एक्स पी/27 आगे साबित करती है कि भांग (गांजा) के नमूने के पैकेट जो भांग (गांजा) की कुल मात्रा से लिए गए थे, उनमें भांग (गांजा) सामग्री पाई गई थी तथा आगे अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप की पुष्टि करती है।

27. उपरोक्त चर्चा के तहत, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है जो न तो विकृत है और न ही अभिलेखों के साथ–साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के भी विपरीत है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अतः अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

28. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज किया जाता है।अपीलकर्ता के कारागार में होने की सूचना है।उसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये कारागार के दंड की शेष अवधि भुगतनी होगी।

29. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति उस जेल के संबंधित अधीक्षक को भेजे जहां अपीलकर्ता अपनी जेल की सजा काट रहा है ताकि वह अपीलकर्ता को यह सूचित कर सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

30. इस निर्णय और मूल अभिलेखों की एक प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय को तुरंत प्रेषित की जाए।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur